निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 36/2025
दायरा दिनांकः– 23.05.2025
निर्णय दिनांकः– 27.8.25

उनवान

1. श्यामवीर आयु 24 वर्ष आत्मज कमलसिंह जाति अहीर निवासी ग्राम राजपुरा तहसील छबडा जिला बांरा (राज0)
2. रामसुखी आयु 26 वर्ष पुत्री कमलसिंह जाति अहीर निवासी राजपुरा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबड़ा जिला बारा (राज0)

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट

निर्णय दिनांकः– 27.8.25

अभिभाषक उपस्थितः–1. श्री हरिओम शर्मा – प्रार्थी

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 136. एल० आर एक्ट विरूद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि वाके ग्राम राजुपरा तहसील छबडा में खाता संख्या 200 में भूमि खसरा नम्बर 172/6 रकबा 0.0253 है० खसरा नम्बर 173/1 रकबा 0.0253 है० खसरा नम्बर 285/1 रकबा 0.0126 है० खसरा नम्बर 327/2 रकबा 0.2276 है० कुल 04 किता कुल रकबा 0.2908 है० भूमि अवस्थित है जिसमें 1/4, 1/4 हिस्सा प्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज चली आ रही है। प्रार्थी क्रमश 1 का वास्तविक नाम श्यामवीर पुत्र कमलसिंह जाति अहीर निवासी राजपुरा तहसील छबडा जिला बारां (राज०) है जो खाता संख्या 200 में हल्का पटवारी ने प्रार्थी के पिता कमलसिंह पुत्र मदनलाल जाति अहीर निवासी राजपुरा तहसील छबड़ा का फौती इंतकाल नं० 530 दिनांक 27.11.2010 खोला गया जिसमें हल्का पटवारी ने सहवन से प्रार्थी का बोलता नाम कल्ला पुत्र कमलसिंह दर्ज हो गया है। प्रार्थी के वॉटर आई.डी., आधार कार्ड, स्कूल रिकॉर्ड, बैंक डायरी, जनआधार कार्ड, राशनकार्ड आदि समस्त दस्तावेज में प्रार्थी का नाम श्यामवीर पुत्र कमलसिंह दर्ज है जबकि राजस्व रिकॉर्ड नकल जमाबन्दी में प्रार्थी का नाम कल्ला पुत्र कमलसिंह दर्ज हो जाने से प्रार्थी को कृषि ऋण लेने मुआवजा प्राप्त करने एव अन्य राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रही योजनाओं को प्राप्त करने के लिए उक्त नाम अंकित होने के कारण वचित होना पड़ता है व कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वक्त फौती इंतकाल नं. 536 दिनांक 27.11.2010 में प्रार्थीगण कल्ला पुत्र कमलसिंह व रामसुखी पुत्री कमलसिंह नाबालिग दर्ज है तथा संरक्षक सरपरस्त माता रामप्यारी जाति अहीर राजस्व रिकॉर्ड नकल जमाबन्दी में दर्ज है। वर्तमान में दोनो प्रार्थीगण बालिंग है इस कारण जमाबन्दी में दुरूस्ती करके प्रार्थीगण को

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

बालिंग दर्ज करना प्रार्थीगण के नाम के साथ संरक्षक सरपरस्त माता रामप्यारी का नाम हटाया जाना भी अतिआवश्यक है प्रार्थीगण को नाबालिंग दर्ज होने व माता का नाम संरक्षक सरपरस्त वली के रुप में दर्ज होने से समस्त राजकीय व राजस्व कार्यों में भारी परेशानी आती है। प्रार्थीगण ने कई बार राजस्व अधिकारी व कर्मचारियों हल्का पटवारी व तहसीलदार छबड़ा से उक्त खाता संख्या 200 में प्रार्थी क्रम 1 का नाम कल्ला पुत्र कमलसिंह को दुरस्त करके अपना नाम श्यामवीर पुत्र कमलसिंह अंकित करने एवं दोनों प्रार्थीगण को नाबालिंग से बालिंग दर्ज करने की कहा मगर सभी ने आनाकानी करके मना कर दिया। प्रार्थीगण को श्रीमान न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने की हिदायत देने के कारण यह प्रार्थना पत्र श्रीमान न्यायालय में पेश है। प्रार्थी का नाम स्कूल रिकॉर्ड, मतदाता, पहचान–पत्र, आधार कार्ड, जनआधार कार्ड, राशनकार्ड, बैंक डायरी में भी श्यामवीर पुत्र कमलसिंह नाम अंकित है इस कारण प्रार्थी का नाम कल्ला पुत्र कमलसिंह के स्थान पर श्यामवीर पुत्र कमलसिंह दर्ज करने के लिए विशेष साक्ष्य की आवश्यकता नहीं है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। पैरोकार सरकार की ओर से रिपोर्ट प्राप्त जो शा. मि० है प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम राजपुरा तहसील छबडा सम्वत् 2073–76 खाता संख्या 200 नकल नामान्तरण संख्या 536 ग्रसम राजुपरा पेश किया गया। फोटो प्रति आधार कार्ड, फोटो प्रति मतदाता पहचान पत्र अंक तालिका रा०उ० प्रा० विद्यालय राजपुरा, जन आधार कार्ड बैंक पास बुक परिवार राशन कार्ड सरपंच ग्राम पंचायत फलिया का प्रमाण पत्र मतदाता पहचान पत्र रामसुखी आधार कार्ड, 50/– स्टाम्प पर शपथ पत्र जन आधार कार्ड पेश किया गया।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। बहस के दौरान अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम राजपुरा तहसील छबडा में स्थित है। जिसमें प्रार्थीगण का 1/4–1/4 हिस्सा दर्ज है प्रार्थी का नाम वास्तविक नाम श्यामवीर पुत्र कमलसिंह अहीर है परन्तु प्रार्थी के पिता कमलसिंह के फोत होने के बाद फोती नामान्तरण खोलतें समय सहवन से प्रार्थी का बोलता नाम कल्ला पुत्र कमलसिंह दर्ज कर दिया प्रार्थी के अन्य दस्तावेजों में प्रार्थी का नाम श्यामवीर पुत्र कमलसिंह दर्ज है परन्तु राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम कल्ला पुत्र कमलसिंह दर्ज हो जाने के कारण प्राथर्थी को राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ नही मिल पा रहा है जिससे प्रार्थी को काफी परेशानियों का सामना करना पड रहा है। नामान्तरण संख्या 536 दिनांक 27.11.2010 में प्रार्थीगण कल्ला पुत्र कमलसिंह व रामसुखी पुत्री कमलसिंह नाबा० दर्ज है वर्तमान में दोनो बालिंग है इसलिए प्रार्थीगणों को नाबालिंग से बालिंग दर्ज किया जावें। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी कल्ला पुत्र कमलसिंह के स्थान पर श्यामवीर पुत्र कमलसिंह एवं प्रार्थीगण को नाबा० से बालिग दर्ज किया जावें।

इस सम्बन्ध में तहसीलदार छबडा से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार छबडा ने रिपोर्ट में बातया कि ग्राम राजुपरा की भूमि खाता संख्या 200 के कुल खसरा म्बर 4 किता रकबा 0.2908 है में वर्तमान जमाबन्दी क्रम 1 पर नाबालिग कल्ला पुत्र कमलसिंह संरक्षक सरपरस्त मातां हिस्सा 1/4 जाति अहीर एवं क्रम संख्या पर नावालिग रामसुखी पुत्र कमलसिंह संरक्षक सरपरस्त माता हिस्सा 1/4 जाति अहीर सा०देह खातेदार दर्ज है प्रार्थी का नाम कल्ला नामान्तरण संख्या 530 दिनांक 29.11.2010 से विरासत के नामान्तरण से दर्ज हुआ है तब से लेकर आदिनांक तक जमाबन्दी में नाम नाबालिंग कल्ला पुत्र कमलसिंह दर्ज चला आ रहा है। प्रार्थीगण वक्त विरासत नामान्तरण संख्या 536 दिनाक 29.11.2010 को नाबा० थे इसलिए कल्ला पुत्र कमलसिंह व रामसुखी

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

पुत्री कमलसिंह को जमाबन्दी में नाबा० दर्ज किया गया था। वर्तमान में मुताबिक बोटर आईडी एवं अन्य दस्तावेजो में दोनो प्रार्थीगण बालिंग हो चुके है वादी के समस्त दस्तावेजों में नाम श्यामवीर पुत्र कमलसिंह दर्ज है खाता संख्या 200 के अन्य खातेदार एवं मौके पर उपस्थित मोतविरान से जानकारी पर पाया गया कि वादी को गांव में दोनो नाम कल्ला एवं श्यामवीर से जाना जाता है उक्त दोनो नाम एक ही व्यक्ति के है जमाबन्दी में नाम दुरूस्त कर कल्ला के स्थान पर श्यामवीर किया जाना उचित होगा।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम राजपुरा सम्वत् 2073–76 खाता संख्या 200 में नाबालिंग कल्ला पुत्र कमलसिंह नाबालिंग रामसुखी पुत्री कमलसिंह हिस्सा 1/4 1/4 दर्ज है नकल नामान्तरण संख्या 536 दिनांक 29.11.2010 के अनुसार कमलसिंह व कोशल्या बाई फोत होने पर उनके वारिसान के नाम दर्ज किया गया। कमलसिंह के वारिसान कैलाश व कल्ला नाबालिंग रामसुखी नाबा० रामप्यारी बेवा का नाम दर्ज हुआ। फोटो प्रति आधार कार्ड श्यामवीर मतदाता पहचान पत्र अंक तालिका रा०उ०प्रा० विद्यालय राजुपरा वर्ष 2013–2014 जन आधार कार्ड बैंक पास बुक परिवार राशन कार्ड में श्यामवीर दर्ज है रामसुखी के आधार कार्ड एवं पहचान पत्र में आयु 01.01.1999 दर्ज है प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत से से यह साबित होता है कि प्रार्थी का नाम अन्य दस्तावेजों में श्यामवीर है तथा राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में कल्ला दर्ज है प्रार्थी का नाम पिता कमलसिंह के फोत होने पर नामान्तरण खोलतें समय बोलतें नाम से नामान्तरण खोल दिया जबकि प्रार्थी का अन्य दस्तावेजों में श्यामवीर दर्ज है तहसीलदार छबडा ने भी प्रार्थी का नाम कल्ला व श्यामवीर दोनो ही एक ही व्यक्ति के होना बताया है तथा कल्ला के स्थान पर श्यामवीर दर्ज करने की अनुशंषा की है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी का नाम कल्ला के स्थान पर श्यामवीर एवं प्रार्थीगण को बालिग दर्ज किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी बाके ग्राम राजुपरा तहसील छबडा के खाता संख्या 200 में कल्ला पुत्र कमलसिंह के स्थान पर श्यामवीर पुत्र कमलसिंह एवं प्रार्थीगण के नाम के साथ नाबालिग एवं सरपरस्त संरक्षक माता का नाम हटाकर बालिग दर्ज करने के आदेश तहसीलदार छबडा को दिये जातें है।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
आर.ए.एस.
छबडा (बारां)
उपखण्ड अधिकारी, छबडा